न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 12/2023 तारीख रजू:– 11.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

अजीराम पुत्र गोकलराम जाति गुर्जर निवासी झिरना मोड के पास झिरना खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————————————— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर जिला करौली राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान। ————————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 26.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 310 व पुराना 44 आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.21 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.41 है0 ग्राम खरैटा, पटवार हल्का खरैटा तहसील हिण्डौन है। जिसकी खातेदारी में प्रार्थी का 1/10 वां हिस्सा दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी ने उक्त आराजीयात को खरीदते समय अपना पूर्व निवास का पता काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर लिखवा दिया था क्योंकि उस समय प्रार्थी के पास निवास सम्बन्धी दस्तावेज काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के ही थे, जबकि प्रार्थी जमीन क्रय के समय पूर्व से ही झिरना मोड के पास झिरना खरैटा तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान में स्थाई रुप से निवास कर रहा है। प्रार्थी ने सभी दस्तावेज जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में निवास स्थान का पता एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशनकार्ड में निवास स्थान का पता झिरना मोड के पास झिरना खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान इसलिए खाता संख्या नया 310 व पुराना 44 आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.21 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.41 है0 ग्राम खरेटा, व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्सा 1/10 में निवास स्थान/पता काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के स्थान पर झिरना मोड के पास झिरना, खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान किया जाना आवश्यक एव न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि उक्त नाम की दुरुस्ती हेतु जिला कलेक्टर को दफा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था मगर प्रार्थी को कास्त हेतु ऋण एवं किसान सम्मान निधि से राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना था इसलिए अगर जिला कलेक्टर को धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाता तो उससे अधिक समय लगने कि सम्भावना थी इसलिए प्रार्थी धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत आदेश से दरखवास्त पेश कर दावा पेश कर रहा है। जिसे श्रीमानजी तसब्बुर फरमाने कि आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी को ऋण लेने एवं किसान सम्मान निधि से राशि प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी कि नकल कि आवश्यकता हुई तो दिनांक 31.07.2023 को नकल कि दरख्वास्त पेश की जिस पर दिनांक 31.07.2023 को ई–मित्र से नकल प्राप्त होने पर उक्त नाम कि गलती का पता चला जिस पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार जी से संसोधन करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने माननीय अदालत से आदेश लाने को कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र कि सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि नियमानुसार उचित कोर्ट फीस वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को यह आदेश दिया जावे कि जमाबंदी खाता संख्या नया 310 व पुराना 44 आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.20 है0, 2020 रकबा 0.21 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.41 है0 ग्राम खरेटा, व हिस्सा 1/10 में निवास स्थान/पता काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के स्थान पर झिरना मोड के पास झिरना, खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान दर्ज करने के आदेश फरमावे अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ वहक प्रार्थी नासाबित हो अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए और ना ही जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसलिए दिनांक 10.11.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2070–73, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. कमांक 458654658181, बारकोड संख्या 200004402015 अजीराम पुत्र गोकल निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 458654658181 अजीराम पुत्र गोकल निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति जनआधार कार्ड सं0 4701366025 महाराजी पत्नि अजीराम निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.20 है0, 2020 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम खरैटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अजीराम पुत्र गोकलराम हि0 1/10 जाति गुर्जर सा. काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. कमांक 458654658181, बारकोड संख्या 200004402015 अजीराम पुत्र गोकल निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 458654658181 अजीराम पुत्र गोकल निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जनआधार कार्ड सं0 4701366025 महाराजी पत्नि अजीराम निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वर्तमान पता ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.20 है0, 2020 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम खरैटा तहसील हिण्डौन के खातेदार अजीराम पुत्र गोकलराम हि0 1/10 जाति गुर्जर सा. काली पहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के स्थान पर अजीराम पुत्र गोकलराम हि0 1/10 जाति गुर्जर निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला (करौली)